424

अपराहन 5.45 वर्ष

प्रधानमंत्री द्वारा यक्तव्य संबुक्त राज्य अमरीका के साथ असैनिक नामिकीय कर्जा सहयोग

 उपाध्यक्ष महोदव : अब, अमरीका के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर प्रधानमंत्री स्वतः वक्तव्य देंगे। प्रधानमंत्री जी

ंप्रधानमंत्री (का. मनमोहन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर अमेरिका के साथ हुई चर्चाओं की स्थिति के बारे में इस सम्मानित सभा को अवगत कराने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके व्यापक पहलुओं का दिनांक 18 जुलाई, 2005 के उस संयुक्त वक्तव्य में उल्लेख किया गया है जिस पर पिछले साल वाशिंगटन डीसी के मेरे दौरे के समय अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश और मैंने सहमति जताई थी। मैं चल रही बातचीत की स्थिति के बारे में विस्तार से बताने से पहले, इस अवसर पर संयुक्त वक्तव्य के संदर्भ और मुख्य बातों का उल्लेख करना चाह्गा।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने का हमारा प्रयास हमारे समझ कर्जा की बढ़ती हुई कमी को पूरा करने की जरूरत पर आधारित था। चूंकि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की अपनी वार्षिक वृद्धि दर को वर्तमान 7-8% से बढ़ाकर 10% से अधिक करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ऊर्जा की और ज्यादा कमी होगी। इससे ने केवल विकास अवरुद्ध हो सकता है बल्कि तेल और प्राकृतिक गैस आयात करने की लागत बढ़ने से अतिरिक्त भार भी पढ़ सकता है. वह भी उस स्थिति में जब हाइड्रोकार्बन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। क्टापि हमारे पास कोयले के पर्याप्त भंडार हैं. फिर भी कोयले पर अमारित ऊर्जा पर अत्याविक निर्मर रहने से हमारे पर्यावरण के लिए इसके खतरे बढ़ेंगे। परमानु प्रौद्योगिकी हमारी ऊर्जा जकरतों को पूरा करने के लिए विद्युत का एक प्रचुर और प्रदूषण रहित स्रोत उपलब्ध कराती है। किन्तु, हमारी ऊर्जा जरूरतों के विमिन्न स्नेतों में परमानु विद्युत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमें उन परिसीमाओं को तोड़ने की जनस्त है जो प्राकृतिक यूरेनियम के अपर्याप्त मंडारों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण पैदा हुई हैं जिनकी वजह से हमाश परमाणु कार्वक्रम तीन दशकों से अधिक समय से बाधित रहा है।

हमारा परमाणु कार्यक्रम सचमुच अद्वितीय है जिसका संपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था और जो डा. होमी भागा जैसे वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता के कारण साकार हुआ। इसकी अद्वितीयता इस व्यापक दृष्टिकोन पर आधारित है कि नारत अपने विज्ञाल थोरियम संसाधनों का इस्तेमाल करके एक त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम बनाएगा, और पूर्ण परमाणु ईंघन चक्र की अधिक जटिल प्रक्रियाओं में विशेषक्रता हासिल करेगा। इसके परिणामस्वरूप, हमारे नागरिक और स्ट्रेटजिक कार्यक्रम परमाणु ईंघन चक्र के विस्तार के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा दूसरा देश होगा जो इस तरह की स्थिति में हो। वर्षों से हमारे परमाणु कार्यक्रम में आई परिपक्वता जिसमें विश्व-स्तरीय धर्मल पॉवर रिएक्टर्स का विकास भी शामिल है, से कुछ बदलावों पर विचार करना संभव हुआ है। इन पर तभी विचार किया जा सकता है जब इनसे लाभ मिलें जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से बिना किसी रुकावट के परमाण सामग्री. उपकरण, प्रौद्योगिकी तथा ईंधन सुलभ होना।

किन्तु, परमाणु सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एन.एस.जी.) जो 45 देशों का एक अनौपचारिक समूह है, द्वारा निर्धारित होता है। इसके सदस्वों में अमेरिका, रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन शामिल हैं। भारत को इस अनीपचारिक व्यवस्था से दूर रखा गया है इसलिए यह परमाणु सामग्री, उपकरण और विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियों में व्यापार बढ़ाने की पहुंच से वंचित है।

इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए हमने अमेरिका से भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करने के लिए बातीचत का प्रस्ताव किया। पिछली जुलाई में वाशिंगटन में जिन बातों पर सहमति हुई थी, उनका सार यह है कि ऊर्जा की हमारी बढ़ती हुई जरूरतों के बारे में हमारे बीच आपसी समझ-बूझ विकसित हुई। हमारे संबंधों में आए सुधार को देखते हुए अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने हेतु अपनी ओर से अनेक कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। इनमें घरेलू नीतियों को समायोजित करना, और संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को समंजित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है। इसके अलावा, तारापुर स्थित पहले दो परमाणु विद्युत रिएक्टरों के लिए संभावित ईंधन आपूर्ति करने का भी सकारात्मक उल्लेख किया गया था। अमेरिका ने इंटरनेज्ञनल थर्मो-न्युविलयर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट तथा जेनरेशन IV इंटरनेशनल फोरम में भारत को एक पूर्ण भागीदार के रूप में शामिल करने के समर्थन का भी संकेत दिया।

किन्तु, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त वक्तव्य में अमेरिका ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम की मौजूदनी को निर्विवाद स्वीकार किया। इस बात को भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया कि उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों वाले एक जिम्मेदार राष्ट्र के कप में भारत को ऐसे दूसरे राष्ट्रों की तरह ही लाभ हासिल होने चाहिए जिनके पास आधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी है जैसा कि अमेरिका। संयुक्त वक्तव्य में दशकों पुराने प्रतिकंबों को हटाने की संभावना को भी व्यक्त

ब्रम्यासय में भी रखा गया, वेसिक्ट संख्या एस. टी. 3711/06

किया गया ताकि भारत के एक नई परमाणु विश्व व्यवस्था के पूर्ण सदस्य के रूप में उभरने के लिए स्थान बनाया जा सके।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पिछले वर्ष 29 जुलाई को दिया गया मेरा स्वतः वक्तव्य याद होगा, हमने अपनी ओर से नागरिक और स्ट्रेटजिक कार्यक्रम को अलग—अलग करने की प्रतिबद्धता जताई थी। किन्तु यह प्रतिबद्धता सर्रातं और परस्पर आदान—प्रदान के आधार पर भी और इस पर तमी अमल होगा जब अमेरिका समझौते के अपने पक्ष को पूरा करेगा। मैंने इस बात पर जोर दिया था कि परस्पर आदान—प्रदान महत्वपूर्ण है और हमने उम्मीद जताई थी कि भारत द्वारा उठाये जाने वाले कदम सर्रातं होंगे और अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करेंगे। तब मैंने इसी बात पर बल दिया था — और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूं — कि इस प्रक्रिया के किसी भी हिस्से का हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम पर न तो कोई प्रभाव पढ़ेगा और न ही इससे कोई समझौता किया जाएगा।

पिछले कुछ महीनों में जो बातचीत हुई हैं, अब मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। यद्यपि ये बातचीत प्रमुख रूप से अमेरिका के साथ हुई हैं, फिर भी रूस, ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे अन्य देशों के साथ भी चर्चाएं की गई है। राजनीतिक स्तर पर, मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री शिराक, रूस के राष्ट्रपति श्री पृतिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर के साथ सम्पर्क बनाए रखा है। मैंने इस विषय को नार्वे, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, चेक गणराज्य और आयरलैंड, जो सभी न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के सदस्य हैं, के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ भी उठाया है। मैं पिछले सितम्बर में न्यूयार्क में राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश से भी मिला था और 18 जुलाई के वक्तव्य के कार्यान्वयन पर उनसे चर्चा की। उसी अवधि के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के कई नेतागण और नीति-निर्माता पिछले कुछ महीनों में भारत का दौरा कर चुके हैं और उनमें से कई मुझसे भी मिले। हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पूर्ण नागरिक परमाणु कर्जा सहयोग लेने के उद्देश्य को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है और परमाणु अप्रसार में भारत की विश्वसनीयता का उन्हें पुनः आश्वासन दिया है।

सरकारी स्तर पर हमने दो समूह गठित किए हैं जिनमे स्ट्रेटजिक और परमाणु मसलों से जुड़े प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें परमाणु ऊर्जा विमाग, विदेश मंत्रालय, सशस्त्र बल और मेरा कार्यालय सम्मिलित हैं। इन दोनो समूहों में से एक को स्वीकार्य पृथ्वक्करण योजना तैयार करने, और दूसरे को इस आधार पर बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन दोनों समूहों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग हेतु अवसर बढ़ाने का प्रयास करते समय हमारे स्ट्रेटजिक परमाणु कार्यक्रम के साथ किसी भी तरह से समझौता न किया जाए। हमारे अधिकारियों द्वारा व्यापक और लम्बी बातचीत की जाती रही है। इनमें चार महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है अर्थात्, पृथक्करण योजना की व्यापक रूपरेखा; उन प्रतिष्ठानों की सूची जिन्हें हम नागरिक उपयोग के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं; ...(व्यक्धान) उन निगरानियों का स्वरूप जो नागरिक क्षेत्र में सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे ...(व्यक्धान) और अमेरिका के घरेलू कानूनों और एन.एस.जी. के दिशानिर्देशों में प्रत्याशित परिवर्तनों का स्वरूप और गुंजाइश जिनसे भारत के साथ पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग हो सके।

माननीय सदस्य इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि पृथक्करण योजना की रूपरेखा पर निर्णय लेते हुए हमने अपने परमाण सिद्धांत के अनुरूप सभी संगत कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात अपनी मौजूदा और भावी स्ट्रेटजिक जरूरतों और कार्यक्रमों का ध्यान रखा है हम उन चंद देशों में से एक हैं जो 'परमाण् हिथयारों का पहले इस्तेमाल न करने' के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। हमारे सिद्धांत में पहले परमाणु हमला करने वाले दुश्मन पर भारी क्षति पहुंचाने हेत् एक विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निरोधक क्षमता हासिल करने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए सुविधाएं और हमारे स्ट्रेटजिक लचीलेपन के संबंध में अपेक्षित आश्वासन, पृथक्करण योजना तैयार करने में हमारे मानदंड रहे हैं। परमाण खतरे से अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना हमारा परम दायित्व है और हम अपने इस दायित्व का पालन करते रहेंगे। इसलिए माननीय सदस्य आश्वस्त हो सकते हैं कि एक पृथक्करण योजना तैयार करते समय हमने अपनी मौजूदा अथवा भावी क्षमताओं को देखते हुए अपने परमाणु सिद्धांत की अखंडता को अक्षण्ण रखा है।

जिस पृथ्वकरण योजना का उल्लेख किया जा रहा है वह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के अनुकूल है, बिल्क यह हमारे महत्वपूर्ण अनुसंघान तथा विकास संबंधी हितों का भी बचाव करती है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारा त्रि—स्तरीय परमाणु कार्यक्रम बाहरी हस्तक्षेप से कमजोर या बाधित नहीं होगा। वस्तुतः हमारे त्रि—स्तरीय परमाणु कार्यक्रम को हमारी सरकार की पूर्ण सहायता प्राप्त होती रहेगी, जिसमें नए प्रतिष्ठानों का निर्माण करना शामिल है। हम केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को निगरानी में रखना चाहेंगे जिन्हें हमारी निरोधक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाए बगैर अथवा हमारे अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को प्रतिबंधित किए बिना अथवा किसी भी तरह से हमारे त्रि—स्तरीय परमाणु कार्यक्रम के विकास की हमारी स्वायस्तता से समझौता किए बिना नागरिक उपयोग के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में परमाणु ऊर्जा विमाग को हर स्तर पर शामिल किया गया है और उनकी ही सूचना के आधार पर पृथ्वकरण योजना तैयार की गई है।

ववत्तव्य

[डा. मनमोहन सिंह]

427

अतः हमारी प्रस्तावित पृथक्करण योजना में हमारे चूनिंदा ताप परमाणु रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के तहत रखने के लिए चरणबद्ध तरीके से नागरिक उपयोग के रूप में निर्दिष्ट किया जाना है। इन चुनिंदा रिएक्टरों की क्षमता कुल स्थापित ताप परमाणु कर्जा का लगभग 65 होगी और ये रिएक्टर प्रथक्करण योजना के पूरा होने तक नागरिक उपयोग के लिए पूरी तरह निर्दिख किए जावेंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग की कुछ अन्य सुविधाओं की एक सुबी को नागरिक क्षेत्र के तहत सुविधाओं की सुबी में जोड़ा जा सकता है। प्रथक्करण योजना से एक स्पष्ट रूप से परिमाषित नागरिक क्षेत्र का सुजन होगा जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु कर्जा एजेंसी की निगरानी लागू हो। जहां तक हमारा संबंध है, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम नागरिक क्षेत्र के लिए अमिप्रेत किसी मी परमाणु सामग्री को निर्दिष्ट नागरिक इस्तेमाल से कहीं और नहीं जाने देंगे अथवा किसी तीसरे देशों को सुरक्षा निगरानी के बिना निर्यात नहीं होने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में बातचीत फिलहाल एक महत्वपूर्ण दौर में है। हमने अपने वार्ताकारों के साथ अपनी बातचीत में अमेरिकी पक्ष द्वारा रखे गए हर प्रस्ताव को गुण-दोष के आधार पर आंका है लेकिन हम इस बात को लेकर दढ़ हैं कि किन सुविधाओं को नागरिक उपयोग की श्रेणी में रखा जाए, इस बात का निर्णय केवल भारत द्वारा लिया जायेगा, अन्य किसी के द्वारा नहीं।

इसके साथ ही, हम इन वार्ताओं में आने वाली कठिनाईयों को भी कम करके नहीं आंक रहे हैं। इनमें कई जटिल मुद्दे शामिल हैं। परमाणू कार्यक्रम के कई पहलू जन-चर्चाओं में मिन्न-मिन्न व्याख्याओं के लिए सहायक हो सकते हैं जैसे कि फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम और हमारी प्यूल साइकल क्षमताएं जैसे री-प्रोसेसिंग तथा एनरिचमेंट संबंधी जरूरतें। उन स्ट्रेटजिक सुविधाओं का स्वरूप और श्रेणी जिन्हें हम निगरामी से बाहर रखना जरूरी समझते हैं, एक अन्य उदाहरण है। तथापि, हमने अपने वार्ताकारों को यह अवगत करा दिया है कि पृथक्करण योजना पर चर्चा करते समय हम अपनी स्ट्रेटजिक जरूरतों के स्वरूप और विषय-वस्तु के ब्यौरे का जिक्र नहीं करेंगे। बातचीत की प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को किसी भी जानकारी को उजागर करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सायं 6.00 वजे

यहां यह याद करना जरूरी है कि 18 जुलाई का वक्तव्य हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम के बारे में नहीं था। यह हमारी नागरिक परमाणु कर्जा बमताओं के विस्तार के लिए था और इसके द्वारा तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए मार्ग तैयार करने में मदद करने के लिए था। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत है ताकि इस बारे में फैली बहुत सी गलत धारणाओं को दूर किया जा सके। मैं इस बात को दोहराता हूं कि परमाणु अप्रसार के संबंध में भारत का रिकार्ड अनुकरणीय रहा है और यह आगे भी बना रहेगा। कुल-मिलाकर, अब तक की बढ़ी उपलब्धि यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन को अब समझा जाने लगा है। हमारा मानना है कि संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित जिन-जिन बातों पर सहमति हुई है जब वे कार्यान्वित हो जाएंगी तो भारत को विश्व परमाणु व्यवस्था में इसका यथोचित स्थान मिल जाएगा। हमारे सामरिक महत्व के कार्यक्रम की मौजूदगी को स्वीकार किया जा रहा है, यहां तक कि हमें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक परमाण ऊर्जा सहयोग में एक पूर्ण भागीदार बनने के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है।

मैं इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहुंगा कि हमारे परमाण् वैज्ञानिकों ने पूर्ण परमाणु ऊर्जा चक्र के सभी मुख्य पहलुओं के संबंध में महारत हासिल करने, जिसके लिए उन्हें अक्सर कठिन परिस्थितियाँ से गुजरना पढ़ा है, में जो उल्लेखनीय काम किया है, उसके लिए हमारे राष्ट्र को उनपर और परमाणु ऊर्जा विभाग पर बहुत गर्व है। संपूर्ण परमाण ऊर्जा चक्र - जो उनकी प्रतिमा और मेहनत का परिणाम है -में महारत हासिल करने में हमारे वैज्ञानिकों की जबरदस्त उपलब्धों को बेकार नहीं जाने दिया जायेगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के रास्ते में कोई बाधा न आये। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने स्वदेशी फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम के संबंध में निगरानी स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि यह प्रौद्योगिकी परिपक्त हो जायेगी और यह कार्यक्रम स्थायी हो जायेगा तथा यह अतिरिक्त क्षमता के सृजन से और ज्यादा मजबूत हो जायेगा। इससे इस क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए और अधिक अवसर पैदा होंगे। अमेरिका और उन्नत परमाणू प्रौद्योगिकियां रखने वाले अन्य देशों का भारत के साथ एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में जुड़ने के पीछे एक अहम कारण यह है कि हमारे वैज्ञानिकों ने विश्वमर में अत्याधिक सम्मान और प्रशंसा हासिल की है, और वे अत्याधिक कठिन परिस्थितियों में अत्याधुनिक परमाणु कार्यक्रम की रेंज और क्वालिटी का सुजन करने में कामयाब रहे हैं। इससे हमारे अंदर एक बराबर के भागीदार के रूप में इन वार्तालापों में शामिल होने का विश्वास पैदा हुआ 81

जैसा कि मैंने कहा है, प्रस्तावित पृथक्करण योजना के कई पहलुओं पर इस समय बातचीत चल रही है। यह सच है कि 18 जुलाई के वक्तव्य के कुछेक आश्वासन अभी पूरे किए जाने बाकी हैं – जैसे तारापुर । और ॥ के लिए आयातित ईंधन की आपूर्ति कुछ घटक

430

कार्यरूप ले चुके हैं, जैसे आई.टी.ई.आर. कार्यक्रम में भारत की मागीदारी के लिए अमरीकी समर्थन। निर्दिष्ट नागरिक सुविधाओं पर लागू होने वाली निगरानी के स्वरूप के मुद्दे का भी अभी समाधान होना बाकी है। मैं इस समा से चाहूंगा कि इस समय इन वार्तालापों के संबंध में हरेक जानकारी न मांगी जाए। तथापि, मैं इस सम्मानित समा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे परमाणु कार्यक्रम की स्वयन्तता से जुड़े मुद्दे के प्रति हमारी व्यापक प्रतिबद्धता हमारी सीमाएं निर्धास्ति करती हैं। हमारी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे इनमें से किसी पर भी कोई आंच आए।

मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि बाहर वालों को तो ज्यादा जानकारी दी जा रही है लेकिन अपने नागरिकों को कुछ नहीं बताया जा रहा है। माननीय सदस्य इस बात से आस्वस्त रह सकते हैं कि हमने किसी को भी ऐसी जानकारी नहीं दी है जिससे हमारी परमाणु निरोधक क्षमता को क्षति पहुंचे। इस संबंध में चिंता या संदेह का कोई कारण नहीं है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हमारा दृष्टिकोण हमारी ऊर्जा संबंधी कमी को पूरा करने के लिए हमारे सम्मुख उपलब्ध अवसरों का लाम उठाने पर आधारित है। हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की जरूरत को भी समझते हैं क्योंकि इनके हटने से हमारी वैज्ञानिक प्रतिमा बढ़ सकेगी और परमाणु तथा संबंधित क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। इस सम्मानित समा के माध्यम से देश को जानकारी दी जायेगी।

।हिन्दी।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर हाउस के माननीय सदस्य चाहें तो सदन का समय बढ़ाया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासनुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

स्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इस पर चर्चा कब होगी? ...(व्यवधान)

भी प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आज सुबह हुई नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ईरान पर हुई चर्चा के सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री उत्तर देंगे तथा वह भी छह बजे से पहले। ...(व्यवधान) श्री बसुदेव आचार्य : इस वक्तव्य पर चर्चा कब होगी? ...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप इस पर चर्चा के लिए नियमों के तहत उचित नोटिस दे सकते हैं। इस संबंध में निर्णय करना मेरा कर्त्तव्य नहीं है ...(व्यवधान) पहले आपको इस.पर चर्चा के लिए नोटिस देना होगा ...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर टिप्पणी की है। हम माननीय प्रधानमंत्री तथा सरकार के साथ हमारे विचार रखने का अवसर चाहते हैं। ... (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, याँद इस पर चर्चा के लिए कोई नोटिस दे तो चर्चा करने में हमें कोई हिचक नहीं है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह बीएसी डिसाइड करेगी।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना जल्दी संभव हो सके इसपर चर्चा हो तथा इसे किसी विशिष्ट अतिथि के दौरे से न जोड़ा जाये। ...(व्यक्यान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में नोटिस दें!

नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रहेगी तथा समा अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी। यदि समा सहमत हो तो हम समा का समय एक घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

सायं 6.00 बजे

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, पिछले कुछ वर्षों में खादी क्षेत्र में रोजगार में अत्याधिक